

खोया पाया

नारायण लाल मेहरा सुपुत्र मांगी लाल के मकान नं. 6-D-21, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा की मूल आवंटन, सह कब्जा पत्र खो गया है। जिस किसी व्यक्ति को मिले, कृपया निम्न पते पर सम्पर्क करें।

पंकज मेहरा, 6-D-21 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा मो. 7742783859

आम सूचना

मेरे पश्कार श्री कचरुलाल आरु 66 वर्ष आत्मज श्री मेरुलाल निवासी 2-H-15 तलबन्धी कोटा-राज. की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पश्कार का पुत्र नागराज पुत्र कचरुलाल व उसके साथ जाने वाली विधु उर्फ बिरला पुत्री स्व. रामचरण को अपने को नागराज की दोस बन्कर मेरे पश्कार के भक्तन में निवास कर रही थी। उक्त दोनों मेरे पश्कार के कहने में नहीं है तथा मेरे पश्कार व उसकी पुत्री के साथ दुर्घटनाग्र, लडाई झगडा, मारपीट करते है, उनकी सार संभाल नहीं करते है इसलिये मेरा पश्कार इन दोनों को अपनी जात, सम्पत्त चाल अन्वत् सम्पत्ति से बेखल करता है। कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का कोई संव्यवहार नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों से कोई लेन-देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मेरा पश्कार उसके लिये किसी भी प्रकार से जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होगा। सूचित हों।

दिनांक-20.12.25

भवदीय
Anmol Shringi, Advocate

न्यायालय अग्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री अविनाश चौधरी, आर.जे.एच.एस.

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रकरण संख्या 28/2025

चिरंजु आयु 30 वर्ष पुत्र श्री जगमोहन दत्तक पुत्र शिवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) ,प्राचीन नाम

सर्वसाधारण ...अप्राधी

प्रार्थना पत्र बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

वास्तु सर्वसाधारण

जो कि मुक्त श्री शिवलाल पुत्र मूलचंद जाति मीना निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) का स्वर्गवास दिनांक 25.03.2025 को हो गया है। शिवलाल के कोई वारिस नहीं होने से शिवलाल द्वारा प्राचीन को उसकी न्यायिण अवस्था पांच वर्ष की आयु में ही गोद पुत्र बनाकर गोद रद्द किया था तथा गोद के समय प्राचीन रमसे अदा की गई थी एवं इसके पश्चात शिवलाल द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण करने बाबत एक गोदनामा निष्पादित कर उपजीविक कार्यक्रम में दिनांक 03.08.2009 को पंजीकृत करवाया था। तब से प्राचीन शिवलाल का दत्तक पुत्र चला आ रहा है। शिवलाल द्वारा ही प्राचीन का लालन पालन, शिक्षा-दीक्षा एवं शादी करवाई गई है। प्राचीन ही एकमात्र मुक्त शिवलाल का वैधिक उत्तराधिकारी है। इसके अन्वयातिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी एवं नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। मुक्त शिवलाल के भारतीय स्टेट बैंक शाखा सीटीपीपी मोतीपुरा धर्मल के खाता संख्या 61153968529 में जमा बचत लगभग 70000 रुपए प्राप्त करने के लिए प्राचीन ने उत्तराधिकार हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः इस सूचना पत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त बैंक खाते में जमा राशि प्राचीन को दिए जाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, वह दिनांक 17.01.26 समय 10 एम पर इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे।

दिनांक 27.11.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से प्रमाणित किया गया।

मोहर अदालत

न्यायालय के आदेश से टीडर

अग्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा जिला बारां (राज.)

OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT NIPANIYA PANCHAYAT SAMITI CHHABRA

S.No. ग्र.प./2025-26/34-38

Date : 16.12.2025

Notice Inviting Bid

Bid for works are invited from interested bidders up to 28.12.2025 of 6.00 Pm other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.raj.nic.in) of the state.

UBN NO. ZBR2526WSRC00758-759

Village Development Officer Sarpanch

Gram Panchyat Nipaniya Gram Panchyat Nipaniya

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

क्रमांक:-नयबा/भूमि संपा./2025/8496

दिनांक:- 16.12.25

भू-उपयोग परिवर्तन विज्ञापित

नगरीय विकास विभाग की समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचना के तहत बनाने गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू उपयोग परिवर्तन नियम) के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निम्न प्रकरण का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम खसरा नं.	जोनल प्लान (चौन बी) में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल वर्गमीटर	विशेष विवरण
1.	श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री धर्मनंद कुमार निवासी कृष्णा कालोनी अस्पताल रोड बारां तह. व जिला बारां (राज.)	नलका गृह निर्माण समिति बारां	सड़क मार्गाधिकार के बाद मिश्रित परचत आवासीय	आवासीय से व्यवसायिक	146.37 वर्गमीटर	

आयुक्त नगर परिषद बारां

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : 156/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री यशवन्त सिंह डड्डा पुत्र श्री नेमीचन्द, लालचन्द आदरश विद्या मन्दिर के पास, पचपहाड़ मार्ग, भवानीमण्डी, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रयास "श्री जैन क्षेताम्बर चिन्तामणी पार्शनाथ मन्दिर" भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में प्रयासियों के परितर्कन को प्रयास में दर्ज अभिलेख करने हेतु जांच किये जाने के लिये प्रपत्र संख्या 8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रयास में हुए परिवर्तन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रयास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलेखित किया जायेगा।

आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 23.01.2026 है।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा

पद	पदाधिकारी / सदस्य का नाम
संरक्षक	1-श्री नेमीचन्द लोढा 2-श्री धर्मचन्द्र गोटादाला 3-श्री अशोक कुमार जैन
अध्यक्ष	श्री यशवन्त सिंह डड्डा
उपाध्यक्ष	1-श्री पुखराज डड्डा 2-श्री प्रकाशचन्द छाजेड़ 3-श्री प्रसन्न लोढा
सचिव/द्वय	1-श्री विवेक जैन 2-श्री दिनेश जैन
कोषाध्यक्ष	श्री जितेन्द्र कुमार जैन
सह-कोषाध्यक्ष	श्री अशोक कुमार जैन
दस्तावेज कार्यकारी सदस्य	1-श्री अमय कुमार जैन 2-श्री दिलीप कुमार जैन 3-श्री हनुमन्त चन्द जैन 4-श्री ललित कुमार नाहर 5-श्री सुनील मारवाड़ी 6-श्री महावीर बाफ्णा 7-श्री बुनेश कुमार जैन 8-श्री राजेन्द्र कुमार 9-श्री संजय श्रीलाल 10-श्री नितिन सुरगना 11-श्री प्रतिक जैन 12-श्री शुभम जैन 13-श्री अभिषेक जैन 14-श्री राकेश कुमार जैन, सुवासरा वाले
युवा सदस्य	1-श्री पीपूष चौधरी 2-श्री नरेन्द्र जैन
महिला सदस्य	1-श्रीमती चन्दनबाला पामेया 2-श्रीमती रंजना जैन

हाड़ौती गौरव सम्मान-2026 की तैयारियां जोरों पर

कोटा, (निसं)। हाड़ौती अंचल में सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के लिए न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित अप्टम हाड़ौती गौरव सम्मान-2026 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह भव्य आयोजन 5 जनवरी 2026 को अग्रवाल सेवा सदन, विज्ञान नगर, कोटा में संपन्न होगा।

समाजसेवी हरि कृष्ण बिरला एवं राजेश कृष्ण बिरला, तथा एलबीएस ग्रुप के कुलदीप माथुर ने आयोजन समिति से भेंट के दौरान कहा कि "जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज, गरीबों, जरूरतमंदों और जनकल्याण के कार्यों में समर्पित किया है, उनका सम्मान किया जाना न केवल आवश्यक है बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक भी है।"

ट्रेन में भूल गए लाखों के सामान से भरा बैग, रेल सुरक्षा बल ने लौटाया

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल अंतर्गत भरतपुर पोस्ट एवं हिंडीन सिटी आउट पोस्ट द्वारा "ऑपरेशन अमानत" के तहत यात्रियों की संपत्ति को सुरक्षित लौटाने का सराहनीय कार्य किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल द्वारा एक यात्री का ट्रेन में छूट गया बहुमूल्य बैग तलाश कर उसे सही सलामत यात्री को सुपुर्द किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रजिन् जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 12060 में निजामुद्दीन से मथुरा के मध्य यात्रा कर रहे एक यात्री का लैपटॉप बैग मथुरा स्टेशन पर उतरते समय भूलवश ट्रेन में ही छूट गया था।

पश्चिम मध्य रेल

कैटलॉग नं.—KOTA-Park-2025, अनुबंध का प्रकार— पाकिंग (कोटा)— PF4 एवं (BMV), ई—नीलामी की विधि एवं समय— 02/01/2026 समय 12:00 बजे से 12:40 बजे तक, कैटलॉग की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.iirps.gov.in पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल, कोटा

सह भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

सुरेन्द्र माथुर की पुण्यतिथि पर 171 यूनिट रक्तदान

कोटा, (निसं)। एलबीएस ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय सुरेन्द्र कुमार माथुर की चौदहवीं पुण्यतिथि के अवसर पर एलबीएस शिक्षा समूह द्वारा लाल बहादुर शास्त्री कैम्पस, महावीर नगर विस्तार योजना एवं रानपुर परिसर में रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। शिविर में 171 यूनिट रक्तदान किया गया। संस्था के अध्यक्ष कुलदीप माथुर ने बताया कि यह आयोजन एलबीएस शिक्षा समूह, रोटरी क्लब एवं ईथर्स हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला रहे। विशिष्ट अतिथियों में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी, भाजपा नेता पंकज मेहता, डीएसपी आर.ए.सी. आशीष भार्गव, रोटरी क्लब से अमित ठाकुर,



एलबीएस ग्रुप के संस्थापक स्व.सुरेन्द्र माथुर की पुण्यतिथि रक्तदान शिविर आयोजित हुआ।

संजय जैन, संदीप चांदीवाला, राजकुमार जैन सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत माला, दुपट्टा एवं मोमेंटो भेंट कर किया गया। वहीं

रक्तदाताओं को संस्था की ओर से उपरना, माला एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। निःशुल्क मेडिकल कैम्प में फिजिशियन, श्वास रोग, दंत रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग एवं

निःशुल्क नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। संत कंवरराम सिंधी धर्मशाला की ओर से हर माह की 20 तारीख को लगाए जाने वाले नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन शनिवार को सिंधी धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा शहर जिला महामंत्री शैलेंद्र ऋषि ने ऑपरेशन के पश्चात उपस्थित लाभार्थियों को चश्मों का वितरण किया।

सिंधी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष गिरधारी पंजवानी ने कहा कि करीब 20 साल से यह शिविर अंधता निवारण समिति के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। यहां कोटा संभाग सहित एम्पी के आसपास से भी लोग आकर लाभान्वित

हो रहे हैं। सभी को रहने, खाने, दवा एवं चश्मों का वितरण किया जाता है। ऑपरेशन भी निशुल्क डॉ. सुधीर गुप्ता के यहां कराए जाते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शैलेंद्र ऋषि ने कहा कि संत कंवर राम धर्मशाला समिति द्वारा किया जा रहा यह कार्य बेहद ही सराहनीय है हम सभी को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। हर वर्ग के लोगों की सेवा करना परमार्थ का काम है। इस दौरान समिति सदस्यों की ओर से माल्यार्पण कर, साफा बांधकर स्वागत शैलेंद्र ऋषि का स्वागत किया गया। डॉ.दिपेश छबलानी ने रेटीना और कालापानी की जांच कर उचित परामर्श दिया। इस दौरान करीब 80 लोगों को

ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। समिति के सचिव दमोदर वनवानी ने कहा कि शिविर के दौरान 615 लोग आए, मोतियाबिंद के चयनित व्यक्तियों का ऑपरेशन कराया जाता है, अब तक करीब 10 हजार से अधिक ऑपरेशन संस्था द्वारा कराए जा चुके हैं। महेश आहुजा ने कहा कि निशुल्क नेत्र शिविर के साथ ही यहां मानवीय सेवा के रूप में अन्य सेवा कार्य भी किए जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, निर्धन बेटियों के विवाह में भी मदद की जाती है। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन जयसिंघानी, नन्द राजानी, मुकेश खुशानानी, चंद्र बुद्धरानी, जगदीश पेश, लोकेश ठाकुर आदि मौजूद रहे।

ग्रामीणों की समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश

बूंदी, (निसं)। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की परिवेदनओं के त्वरित निस्तारण के लिए शुक्रवार को खटकड़ ठााम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया।

धैर्यपूर्वक सुना और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समाधान कर राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए।

जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने चौपाल में पहुंचकर ठामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

2 साल

नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू उपयोग परिवर्तन नियम) के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निम्न प्रकरण का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति में रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम खसरा नं.	जोनल प्लान (चौन बी) में भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल वर्गमीटर	विशेष विवरण
1.	श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री धर्मनंद कुमार निवासी कृष्णा कालोनी अस्पताल रोड बारां तह. व जिला बारां (राज.)	नलका गृह निर्माण समिति बारां	सड़क मार्गाधिकार के बाद मिश्रित परचत आवासीय	आवासीय से व्यवसायिक	146.37 वर्गमीटर	

आयुक्त नगर परिषद बारां

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : 156/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री यशवन्त सिंह डड्डा पुत्र श्री नेमीचन्द, लालचन्द आदरश विद्या मन्दिर के पास, पचपहाड़ मार्ग, भवानीमण्डी, तहसील भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रयास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रयास "श्री जैन क्षेताम्बर चिन्तामणी पार्शनाथ मन्दिर" भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में प्रयासियों के परितर्कन को प्रयास में दर्ज अभिलेख करने हेतु जांच किये जाने के लिये प्रपत्र संख्या 8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रयास में हुए परिवर्तन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रयास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलेखित किया जायेगा।

आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 23.01.2026 है।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा

पद	पदाधिकारी / सदस्य का नाम
संरक्षक	1-श्री नेमीचन्द लोढा 2-श्री धर्मचन्द्र गोटादाला 3-श्री अशोक कुमार जैन
अध्यक्ष	श्री यशवन्त सिंह डड्डा
उपाध्यक्ष	1-श्री पुखराज डड्डा 2-श्री प्रकाशचन्द छाजेड़ 3-श्री प्रसन्न लोढा
सचिव/द्वय	1-श्री विवेक जैन 2-श्री दिनेश जैन
कोषाध्यक्ष	श्री जितेन्द्र कुमार जैन
सह-कोषाध्यक्ष	श्री अशोक कुमार जैन
दस्तावेज कार्यकारी सदस्य	1-श्री अमय कुमार जैन 2-श्री दिलीप कुमार जैन 3-श्री हनुमन्त चन्द जैन 4-श्री ललित कुमार नाहर 5-श्री सुनील मारवाड़ी 6-श्री महावीर बाफ्णा 7-श्री बुनेश कुमार जैन 8-श्री राजेन्द्र कुमार 9-श्री संजय श्रीलाल 10-श्री नितिन सुरगना 11-श्री प्रतिक जैन 12-श्री शुभम जैन 13-श्री अभिषेक जैन 14-श्री राकेश कुमार जैन, सुवासरा वाले
युवा सदस्य	1-श्री पीपूष चौधरी 2-श्री नरेन्द्र जैन
महिला सदस्य	1-श्रीमती चन्दनबाला पामेया 2-श्रीमती रंजना जैन

राजस्थान कोशल एवं आजीविका विकास निगम

सार-समाचार प्री-ओन्ड कार कार्निवल संपन्न



कोटा, (निसं)। मारुति सुजुकी टू वेल्यू द्वारा कोटा में आयोजित प्री-ओन्ड कार कार्निवल 20 दिसंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान 200 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया और विभिन्न कारों का टेस्ट ड्राइव किया। कार्यक्रम में फैमिली गेम्स और मनोरंजक गतिविधियों के कारण अच्छा फुटफॉल देखने को मिला। भाटिया एंड कंपनी एवं स्वालका मोटर्स द्वारा 100 से अधिक क्वालिटी सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कारों को प्रदर्शित किया गया, जिन पर 1 वर्ष/15,000 किमी वारंटी एवं 3 फ्री सर्विस की सुविधा दी गई। यह योजना 20 दिसंबर को सफल रही है, आप भी 21 दिसंबर को इस कार्निवल में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में देशभर में 60 लाख से अधिक ग्राहक मारुति सुजुकी टू वेल्यू से जुड़ चुके हैं।

आरोपी पिता-पुत्र सहित तीन गिरफ्तार कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में जानलेवा हमले की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि 9 दिसम्बर को पोंडित ने अस्पताल में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि घर के बाहर खड़ा था, अचानक खांसी आने से मकान के बाहर नाली में थूक दिया, उसी समय मकान के सामने रहने वाले रामस्वरूप को लड़की खड़ी थी जिसने कहा कि हमे देखकर थूक रहा है जिस पर उसने यह बात अपने पिता रामस्वरूप व भाई आकाश से कही। जिस पर थूकने के विवाद को लेकर मकान के सामने रहने वाले रामस्वरूप उसके बेटे आकाश, व आशीष ने तलवार व लोहे के पाईयों से जानलेवा हमला कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए राजनगर निवासी रामस्वरूप उसके पुत्र आकाश मेघवाल एवं आशीष को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मंत्रालयिक कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन कोटा, (निसं)। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली से नाराज विभाग के कई कार्मिक एकजुट हो गए हैं। आधे से ज्यादा कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग को ईमेल और डाक के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। कार्मिकों द्वारा सौंप गए इस संयुक्त ज्ञापन में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) गायत्री मीणा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि सीबीईओ द्वारा राजकीय वाहन का निजी कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। वाहन कोटा से सुल्तानपुर प्रतिदिन आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लॉगबुक में फर्जी इंद्राज कर राजकोष को लगभग 11 महीने से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कार्मिकों के अनुसार, राजकीय वाहन का उपयोग विद्यालय निरीक्षण, शैक्षिक योजनाओं की निगरानी और ब्लॉक स्तर के सरकारी कार्यों के लिए तय है, लेकिन वास्तविक क्षेत्रीय दौरे कम और निजी उपयोग अधिक किए जा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप है कि सीबीईओ द्वारा किसी भी प्रस्तावित दौरे या शैक्षणिक यात्रा की सूचना विभाग को पूर्व में नहीं भेजी जाती, फिर भी यात्रा प्रमाणित करवाई जा रही है। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अधिकारियों से ज्ञापन में निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने एवं शिकायतकर्ता मयंक तिवारी कनिष्ठ सहायक को द्वेषतावश कार्यमुक्त किए गए आदेश को निरस्त करवाने की मांग की।